

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर (छ0ग0)

—:: आदेश ::—

क्रमांक—२८८ / दो—११—३ / २००७

बिलासपुर, दिनांक ^{०६} मई, २०२४

इस स्थापना के कार्यालयीन विज्ञापन क्रमांक—२५१७ / चयन समिति/२०२३, बिलासपुर, दिनांक १४—०७—२०२३ के अंतर्गत कोर्ट मैनेजर के अमले हेतु सृजित स्टेनोग्राफर हिन्दी (संविदा), सहायक ग्रेड—तीन (संविदा) एवं भृत्य (संविदा) में रिक्त ०१—०१ पदों की पूर्ति हेतु गठित चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर स्टेनोग्राफर हिन्दी के ०१ पद हेतु मासिक संविदा वेतन रूपये २०,९००/- (एकमुश्त बीस हजार नौ सौ रुपये प्रतिमाह), सहायक ग्रेड—तीन के पद हेतु मासिक वेतन रूपये १४,२००/- (एकमुश्त चौदह हजार दो सौ रुपये प्रतिमाह) एवं भृत्य के पद हेतु मासिक वेतन रूपये ११,३६०/- (एकमुश्त ग्यारह हजार तीन सौ साठ रुपये प्रतिमाह) पर निम्न अभ्यर्थियों को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निम्नांकित शर्तों के अधीन पूर्णतः अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है:—

स.क्र.	चयनित अभ्यर्थी का नाम एवं पिता/पति का नाम	चयनित अभ्यर्थी का पता	वर्ग	नियुक्ति का पद
1	2	3	4	5
1	श्री विवेक श्रीवास्तव, पिता— श्री संतोष श्रीवास्तव	गोडपारा, छुरी बाड़ा, बिलासपुर छ0ग0, 495001	अनारक्षित (मुक्त)	स्टेनोग्राफर हिन्दी (संविदा)
2	श्री आशुतोष कुमार लहरे, पिता— श्री नरेश कुमार लहरे	मकान क्र0 – 105 बी. एन. सिटी कॉलोनी, मंगला, लोखण्डी रेलवे कासिंग के पास, बिलासपुर छ0ग0	अनारक्षित (मुक्त)	सहायक ग्रेड—तीन (संविदा)
3	श्री सुनील कुमार, पिता— श्री मुक्तावन	लाल खदान, परियापारा, वार्ड नं०-०३, पासी मौहल्ला, महमंद, बिलासपुर छ0ग0, पिन—495004	अनारक्षित (मुक्त)	भृत्य (संविदा)

नियुक्ति की शर्तें :-

1. चिकित्सा बोर्ड से शासकीय सेवा के योग्य होने संबंधी प्रमाण पत्र के साथ कार्यभार ग्रहण करना होगा, अयोग्य पाये जाने की दशा में सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।
2. अभ्यर्थी को अनुप्रमाणन फार्म भरना होगा, पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन कराये जाने तथा सत्यापन में सेवा के लिए अयोग्य पाये जाने पर सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।
3. बिना अनुमति के किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए सीधे आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे, न ही बिना अनुमति के किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होंगे और न ही अध्ययन जारी रख सकेंगे।
4. नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, कर्मचारी स्वयं सेवा से मुक्त होना चाहेंगे तो ०१ माह पूर्व सूचना देनी होगी या यदि तुरंत कार्यमुक्त होना चाहते हैं तो ०१ माह की सूचना के बदले एक माह का वेतन जमा करना होगा। इसी प्रकार यदि नियोक्ता द्वारा उन्हें सेवा से पृथक किया जाना हो तो ०१ माह पूर्व सूचना दी जावेगी या ऐसी सूचना के बदले ०१ माह का वेतन देकर तत्काल सेवा से पृथक कर दिया जावेगा।
5. कार्यभार ग्रहण करने के समय नियुक्ति के पद हेतु आवेदन पत्र में उल्लेखित शैक्षणिक/तकनीकी योग्यताओं से संबंधित अंकसूची/प्रमाण पत्र मूलतः प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसे अवलोकन बाद तुरंत लौटाया जावेगा तथा इन दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायांप्रतियां प्रस्तुत करना होगा।
6. नियुक्त अभ्यर्थी को **दिनांक २२-०५-२०२४** तक कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

7. यदि चयन/नियुक्ति के संबंध में कोई असत्य जानकारी/कूटरचित दस्तावेज आदि पाई जाए अथवा किसी विधि, नियम, विनियम का उल्लंघन होना पाया जाता है तो ऐसी नियुक्ति/सेवा तत्काल समाप्त कर दी जावेगी।

SC/1
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बिलासपुर छ0ग0

पृष्ठांकन क्रमांक— 843 /दो-11-3/2007

बिलासपुर, दिनांक 66 मई, 2024

प्रतिलिपि :-

- माननीय रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की ओर रजिस्ट्री ज्ञापन क्रमांक-1931/तीन-18-29/2008, बिलासपुर, दिनांक 12-03-2013 के अनुक्रम में सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- प्रभारी अधिकारी, कम्प्युटर अनुभाग, बिलासपुर की ओर उक्त आदेश की प्रति जिला न्यायालय बिलासपुर की वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु सहायक प्रोग्रामर को निर्देशित करने हेतु प्रेषित।
- लेखापाल, कार्यालय अनुभाग, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- श्री विवेक श्रीवास्तव, पिता— श्री संतोष श्रीवास्तव, पता—गोडपारा, छुरी बाड़ा, बिलासपुर, (छ.ग.) पिन- 495001 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- श्री आशुतोष कुमार लहरे, पिता— श्री नरेश कुमार लहरे, पता—मकान क्र0- 105 बी. एन. सिटी, कॉलोनी मंगला, लोखण्डी रेलवे कासिंग के पास, बिलासपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- श्री सुनील कुमार, पिता— श्री मुक्तावन, पता—लाल खदान, परियापारा, वार्ड नं0-03, पासी मौहल्ला, महमंद, बिलासपुर (छ.ग.), पिन-495004 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बिलासपुर छ0ग0